[2019] 3 एस. सी. आर 932

माला सिंह और ओआरएस।

वी.

हरियाणा राज्य

(2009 की आपराधिक अपील No.1144)

फरवरी 12,2019

[अभय मनोहर सप्रे और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

दंड संहिता, 1860-एस। 302/149 या एस। 302/34 - दोषसिद्धि-विचारण न्यायालय ने 11 अभियुक्त व्यक्तियों को यू/एस एस के तहत दोषी ठहराया। 148 , 302 / 149 , 323/149 और 506/149 आई. पी. सी.-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 8 अभियुक्त व्यक्तियों को यू/एस से बरी कर दिया। 302/149 आई. पी. सी. और 3 अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। 302 / 34 आईपीसी-3 आरोपी

व्यक्तियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की-अपील के लंबित रहने के दौरान, एक अपीलार्थी संख्या 1-अभियुक्त की मृत्यु हो गई-आयोजितः एक बार 8 सह अभियुक्तों को उच्च न्यायालय ने यू/एस द्वारा बरी कर दिया था। 302/149 आई. पी. सी. और उनके बरी होने को अंतिम रूप मिल गया था, आरोप यू/एस। 149 आई. पी. सी. तीन अपीलार्थी-अभियुक्त-के खिलाफ टूट गया-इसके अलावा, वहाँ हो सकता है

पाँच से कम अभियुक्त व्यक्तियों से युक्त कोई गैरकानूनी सभा नहीं होगी इसलिए, अपीलार्थियों पर यू/एस का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। 149 एस के रूप में संख्याओं की कमी के लिए आई. पी. सी. 34 आई. पी. सी. संबंधित है, किसी की अनुपस्थिति में

समान इरादे का साक्ष्य तीनों अपीलार्थियों को देता है ताकि उनका मामला यू/एस के तहत लाया जा सके। 34 आई. पी. सी. और उच्च न्यायालय परिवर्तित दोषसिद्धि के समर्थन में कोई कारण देने में विफल रहे हैं, उनकी दोषसिद्धि

एस। 302 / 34 एस के स्थान पर आई. पी. सी. 302 / 149 आई. पी. सी.-इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों हमले अपीलार्थी द्वारा किए गए हैं। 2 और 3 के कारण पीड़ित को साधारण चोट-इन परिस्थितियों के आलोक में, दोनों

अपीलार्थी लाभ का दावा करने और दंडनीय अपराध करने के लिए अपनी दोषसिद्धि के परिवर्तन की मांग करने के हकदार हैं। 324 आई. पी. सी. यू/एस. द्वारा दोषसिद्धि का सामना करने की तुलना में। 302/34 आई. पी. सी.-इस प्रकार, अपीलार्थी सं. 2 और 3 यू/एस दोषी ठहराए गए। 324 उनके व्यक्तिगत आधार पर आई. पी. सी.

अपराध के आयोग में भागीदारी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एक बार आठ सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया

आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत उच्च न्यायालय ने उन्हें संदेह का लाभ देकर और उनके बरी होने से उन्हें अंतिम रूप दिया, आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप तीन अपीलार्थियों के खिलाफ भी गिर गया क्योंकि पांच से कम अभियुक्त व्यक्तियों से युक्त कोई गैरकानूनी सभा नहीं हो सकती थी। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थियों (संख्या में 3) पर तब संख्या की कमी के लिए आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से आरोप नहीं लगाया जा सकता था और इसलिए वे सही नहीं थे।

आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत कार्रवाई की गई। [पैरा 55] [949-बी]

2. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के पास हालांकि आरोप को बदलने का अधिकार क्षेत्र था आई. पी. सी. की धारा 34 से आई. पी. सी. की धारा 149 तीन अपीलार्थियों को अभी तक

समान इरादे के किसी भी साक्ष्य के अभाव में तीनों अपीलार्थी अपने मामले को धारा 34 के दायरे में ला सकें। आई. पी. सी., आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत उनकी सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। [पैरा 56] [949-सी, डी]

3. अभियोजन पक्ष ने कभी भी ऐसा मामला नहीं उठाया कि सभी 11 अभियुक्तों का धारा 34 के तहत एक समान इरादा था।

अपीलार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही और न ही अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया कि वे (तीन) आदेश की तारीख से पहले घटना ने किसी भी समय "सामान्य इरादे" को साझा किया था और इस तरह के सामान्य इरादे को साझा करने के लिए पीड़ित को खत्म करने के लिए मौके पर आया और अंत में, उच्च न्यायालय परिवर्तित दोषसिद्धि के समर्थन में कोई कारण देने में विफल रहा, सिवाय एक पंक्ति में यह कहने के कि दोषसिद्धि को धारा 302/149 आई. पी. सी. के स्थान पर धारा 302/34 आई. पी. सी. के तहत बरकरार रखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय स्तर पर धारा 34 आई. पी. सी. के आह्वान को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पारस 62 और 63] [950-बी-ई] [2019] 3 एस. सी. आर.

4. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों हमले अपीलार्थी सं। 2 और 3 ने पीड़ित को साधारण चोट पहुँचाई जो

न तो उसकी मृत्यु हुई और न ही उसकी मृत्यु हो सकी। [पैरा 67] [951-ए]

5. इस प्रकृति के मामले में, जब दोनों समूहों के बीच लड़ाई होती है और जहां दोनों के बीच गोलियों का आदान-प्रदान होता है

6. अतः, अपीलार्थी सं। 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और अपराध करने में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी के आधार पर इससे आगे नहीं। [पैरा 69] [951-ई]

विली (विलियम) स्लेनी बनाम। एम. पी. ए. आई. आर. 1956 एस. सी.

116 [1955] इसके बाद एस. सी. आर. 1140 आया।

कांतिलाल चंदूलाल मेहता बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्र. (1969) 3 एससीसी 166: [1970] 2 एस. सी. आर. 742; करनैल सिंह और अन्र। वी. पंजाब राज्य ए. आई. आर 1954 एस. सी. 204: [1954] एस. सी. आर. 904; लक्ष्मण सिंह और अन्य। वी. राज्य आकाशवाणी 1952 एस. सी. 167: [1952] एस. सी. आर. 839-निर्भर।

मोहम्मद. खलील चिश्ती बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य। (2013) 2 एससीसी 541: [2012] 13 एस. सी. आर. 777; चित्तरमल बनाम. राजस्थान राज्य (2003) 2 एससीसी 266 [2003] 1 एससीआर 49 -

संदर्भित किया गया।

माला सिंह और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य

मामला कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 777

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1955] एससीआर 1140

पीछा किया।

पै

रा 46

[1970] 2 एससीआर 742

उस पर भरोसा करें

पै

रा 48

[1952] एससीआर 839

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[1954] एससीआर 904

उस पर भरोसा करें

पै

रा 50

[2003] 1 एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2009 का सं. 1144।

उच्च न्यायालय के 11.02.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं. 65-डी. बी./1999 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का।

करण भरीहोक, (ए. सी.), सनी चौधरी, मनोज कुमार, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

अतुल मंगला, एएजी, आशीष पांडे, इंद्रजीत (डॉ. मोनिका के लिए)

गुसैन), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. यह अपील तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है

1999 के आपराधिक अपील No.65-DB में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.02.2008

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आठ अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में अपील की अनुमति दी और उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 148,302/149,323/149 और 506/149 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन तीन अभियुक्त व्यक्तियों (इसमें अपीलकर्ता) के संबंध में अपील को खारिज कर दिया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302/149 के बजाय आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।

2. इस अपील में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, यह

तथ्यों को नीचे विस्तार से बताना आवश्यक है।

3. ग्यारह (11) अभियुक्त व्यक्ति (इसके बाद ए-1 के रूप में संदर्भित)

ए-11 ") पर 1997 के सत्र मामले No.19 में एक महिला-महेंद्र बाई की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 148,302/149,323/149 और 506/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 04.12.1998 के फैसले/आदेश द्वारा सभी अभियुक्तों (A-1 से A-11) को आई. पी. सी. की धारा 148,302/149,323/149 और 506/149 के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराया। अन्य कम सजा देने के अलावा आजीवन कारावास की सजा काटें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष सक्षम था

सभी अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) के विरुद्ध उचित संदेह से परे मामला साबित करें और इसलिए, वे सभी तदनुसार दोषी ठहराए जाने के योग्य हैं।

5. सभी अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् रंजीत सिंह (ए-1), बूर

सिंह (ए-2), पूरन सिंह (ए-3), बलवंत सिंह (ए-4), इंदर सिंह (ए-5), बग्गा सिंह (ए-6), माला सिंह (ए-7), फुमन सिंह (ए-8), कश्मीरी

(ए-9), लक्ष्मी बाई (ए-10) और तारो बाई (ए-11) को आईपीसी की धारा 148 के तहत छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

आजीवन कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना देना। दो हजार) आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत, आगे के लिए जुर्माने का भुगतान करने में चूक में

आई. पी. सी. की धारा 323/149 के तहत छह महीने के लिए कठोर कारावास, तीन महीने के लिए कठोर कारावास और कठोर कारावास आईपीसी की धारा 506/149 के तहत छह महीने के लिए। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं।

6. सभी अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) ने अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित महसूस किया और उन्होंने एक आम आपराधिक अपील दायर की।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय (आपराधिक अपील No.65-1999 का DB)।

7. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आठ अभियुक्त व्यक्तियों, ए-1 से ए-6, ए-10 और ए-11 के संबंध में अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि अपील को खारिज कर दिया।

तीन अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् ए-7 से ए-9 का सम्मान और तदनुसार आई. पी. सी. की धारा 34 का सहारा लेकर उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने 302/149 आई. पी. सी. के स्थान पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

8. तीन अभियुक्त व्यक्ति, माला सिंह (ए-7), फुमन सिंह (ए-8) और कश्मीरी (ए-9), जिन्हें दोषसिद्धि/सजा सुनाई गई थी, उन्होंने उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित महसूस किया और उन्होंने याचिका दायर की।

इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील प्रस्तुत करें।

9. जहाँ तक उच्च न्यायालय के आदेश का संबंध है, जिसके परिणामस्वरूप आठ अभियुक्तों, ए-1 से ए-6, ए-10 और ए-11 को बरी कर दिया गया था, राज्य ने उनके बरी करने के आदेश को चुनौती नहीं दी और इसलिए,

उच्च न्यायालय का आदेश अब अंतिम रूप ले चुका है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने शुरुआत में कहा कि जहां तक अपीलार्थी संख्या 1-माला सिंह (ए-7) का संबंध है, उनकी मृत्यु हो गई है। अपील के लंबित रहने के दौरान। इसलिए माला सिंह (ए-7) (अपीलार्थी संख्या 1) की अपील समाप्त हो जाती है। तदनुसार उनकी अपील को समाप्त होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

12. इसलिए अब हम दो अभियुक्त व्यक्तियों, फुमन सिंह (ए-8) [अपीलार्थी संख्या 2] और श्रीमती के मामले से चिंतित हैं। कश्मीरी (ए-9) [अपीलार्थी सं. 3 यहाँ]।

13. दूसरे शब्दों में, अब हमें इस अपील में इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उच्च न्यायालय दोषसिद्धि को बरकरार रखने में उचित था और

अपीलार्थी सं. 2 (क-8) और अपीलार्थी सं. 3 (क-9) की सजा।

15. महेंद्र बाई की मृत्यु एक परिवार के सदस्यों के बीच कुछ विवादों के परिणामस्वरूप हुई थी। एक समूह में भाइयों की एक शाखा, उनके बेटे और पत्नियां शामिल थीं जबकि दूसरे समूह में भाइयों की दूसरी शाखा, उनके बेटे और पत्नियां शामिल थीं। यह विवाद परिवार के सदस्यों की पैतृक संपत्ति, यानी एक कृषि भूमि के स्वामित्व और कब्जे के संबंध में था। 16. मेहर सिंह के छह भाई थे। उनके पास 22 किला जमीन थी। इस भूमि को 30 साल पहले सभी भाइयों के बीच मौखिक रूप से विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाई अपने हिस्से की खेती कर रहा था। मेहर सिंह ने फिर उसी क्षेत्र में ढाई एकड़ जमीन खरीदी। उनके तीन भाइयों-माला सिंह (ए-7), बग्गा सिंह (ए-6) और इंदर सिंह (ए-5) ने तब मेहर सिंह से इस ढाई एकड़ भूमि में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह पैतृक भूमि नहीं थी और इसलिए विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भाइयों के बीच विवाद का कारण बना।

17. आई. डी. 1 को दोपहर करीब 12 बजे मेहर सिंह, माल सिंह (मेहर सिंह का बेटा), महेंद्र बाई (मेहर सिंह की बहू-माल सिंह की पत्नी), दारा सिंह (मेहर सिंह का बेटा) और पालो देवी (दारा सिंह की पत्नी) जमीन (खेत) पर बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। अन्य, माला सिंह (ए-7), इंदर सिंह (ए-5), बग्गा सिंह (ए-6)

हाथ। 18. माला सिंह (ए-7) ने "लालकारा" देते हुए कहा कि भूमि का विभाजन न करने के लिए उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए और उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस वजह से

दोनों समूहों के बीच लड़ाई के परिणामस्वरूप महेंद्र बाई की मौत हो गई और मेहर सिंह और पालो बाई भी घायल हो गए। 19. एकर परिणामस्वरूप दारा सिंह द्वारा जाँचक बाद एफ. आई. आर. (एक्स-पी. एन./2) दर्ज कयल गेल। कई लोगों के बयान थे

20. सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया था। इसके बाद मामले को सुनवाई के लिए सत्र अदालत को सौंप दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की। सभी अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) से आपराधिक दंड संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित)। उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया।

21. 04.12.1998 दिनांकित निर्णय/आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश ने सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) को आई. पी. सी. की धारा 148,302/149,323/149 और 506/149 के तहत दोषी ठहराया, जिसके बाद सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-11) द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई। ए-11) उच्च न्यायालय में।

22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने आठ अभियुक्तों को बरी कर दिया

व्यक्तियों (ए-1 से ए-6, ए-10 और ए-11) को संदेह का लाभ देकर सभी आरोपों से मुक्त किया गया, लेकिन वर्तमान तीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। (ए-7 से ए-9) आई. पी. सी. की धारा 302/149 के बजाय आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध

उच्च न्यायालय, तीन अभियुक्त व्यक्तियों (ए-7 से ए-9) ने व्यथित महसूस किया है और इस मामले में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद यह अपील दायर की है।

अदालत।

23. श्री करण भरीहोक, विद्वान न्याय मित्र, श्री सनी को सुना।

चौधरी, अपीलार्थियों के विद्वान वकील-अभियुक्त व्यक्ति और श्री अतुल मंगला, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता।

24. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील (अभियुक्त व्यक्ति ए-7 से

ए-9) अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा का दावा करते हुए प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में गलती की। उनका निवेदन था कि उच्च न्यायालय को अन्य आठ सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ अपीलार्थियों को भी बरी कर देना चाहिए था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि, किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखने में गलती की।

25. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह विवाद में नहीं था कि अपीलकर्ताओं और अन्य आठ सह-अभियुक्तों पर मूल रूप से आरोप लगाया गया था और अंततः आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था। इस पृष्ठभूमि में, जब मामले को सभी ग्यारह अभियुक्त व्यक्तियों के कहने पर उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील में उठाया गया था, तो एकमात्र सवाल, जो विचार के लिए आया था

उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि धारा 302/149 के तहत सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि उचित है या नहीं। 26. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इसलिए, उच्च न्यायालय धारा के साथ पठित धारा 30 से आरोप को बदलने में उचित नहीं था।

149 आई. पी. सी. की धारा 34 को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है और फिर दोषसिद्धि को बरकरार रखने में उचित नहीं था और वह भी केवल तीन अभियुक्त व्यक्तियों (यहाँ अपीलकर्ताओं) के लिए और अन्य आठ सह अभियुक्तों को बरी करने के लिए। 27. दूसरे शब्दों में, उनका निवेदन था कि एक बार सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत आरोप तय किए गए।

जिन व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया,

अपीलीय न्यायालय को स्वतः ही आरोपों में परिवर्तन करने और अपीलार्थियों को परिवर्तित आरोप को पूरा करने का कोई अवसर दिए बिना आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराने और साथ ही शेष आठ सह-अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 302/149 के आरोप से बरी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। 28. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह मानते हुए कि अपीलीय न्यायालय के पास केवल अपीलार्थियों (ए-7 से ए-9) के आरोपों को बदलने का अधिकार क्षेत्र है, फिर भी, उनके प्रस्तुतिकरण में, उनके द्वारा प्रस्तुत कोई सबूत नहीं था

अभियोजन पक्ष केवल वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोपों को विभाजित करेगा ताकि आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके।

29. वास्तव में, प्रस्तुतिकरण उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराने के लिए अपीलीय स्तर पर आरोपों के विभाजन के खिलाफ था

अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत और शेष आठ सह-अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत बरी करना, लेकिन इसमें अपीलार्थी को बरी करने का समान लाभ नहीं देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. विद्वान वकील का अंतिम निवेदन यह था कि, एक मामले में

इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को आठ सह-अभियुक्तों को बरी करने के बाद प्रत्येक अभियुक्त (इसमें अपीलकर्ताओं) की भूमिका की जांच करनी चाहिए थी।

अपराध। इसका कारण यह है कि जब आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत कोई मामला नहीं चलाया गया तो सभी आरोपी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत बरी कर दिया गया। और जब तीन अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 34 की याचिका को बनाए रखने के लिए कोई सबूत नहीं था, तो अपील न्यायालय के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका की व्यक्तिगत रूप से जांच करना था।

31. अतः यह उनका निवेदन था कि यदि उनकी भूमिका

उपस्थित

अपराध करने में दो अपीलार्थियों से पूछताछ की जाती है, तब यह स्पष्ट होता है कि महेंद्र बाई की मृत्यु पूरन सिंह (ए-3) द्वारा गोली लगने से हुई थी, जिसे बरी कर दिया गया था और माला सिंह (ए-7) द्वारा फार्सा चोट के कारण हुई थी, जिसकी तब से मृत्यु हो गई है, न कि वर्तमान दो अपीलार्थियों द्वारा की गई चोट के कारण।

32. विद्वान वकील ने साक्ष्य से बताया कि जहाँ तक

अपीलार्थी सं. 2-फुमन सिंह (ए-8) और अपीलार्थी सं. 3-कश्मीरी (महिला) (ए-9) का संबंध है, दोनों ने व्यक्तिगत रूप से मृतक को लाठी से मारा जिससे मृतक के दाहिने हाथ में एक साधारण चोट लगी और दूसरा मृतक के बाएं गाल पर और वह भी इससे पहले कि अन्य लोग मृतक को घातक चोट पहुँचा सकें।

33. अतः उनका निवेदन था कि इन परिस्थितियों में,

अपीलार्थी सं। 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए इससे आगे नहीं। इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद में ऐसे प्रश्न पर। खलील चिश्ती बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (2013) 2 एससीसी 541।

34. अंत में, यह आग्रह किया गया कि चूंकि ये दोनों अपीलार्थी (ए-8 और

ए-9) पहले से ही लगभग सात साल की जेल की सजा काट चुके हैं और इस अदालत द्वारा वर्ष 2009 में जमानत पर भी रिहा किए गए थे और दोनों अभी भी पिछले 10 वर्षों से जमानत पर हैं, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा, यदि दोनों अपीलार्थियों को किसी भी जुर्माने की राशि के साथ आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत "पहले ही गुजर चुके" की जेल की सजा दी जाती है।

35. श्री करण भरीहोक, विद्वान न्यायमित्र हमारे पास लाए गए

कानूनी स्थिति पर ध्यान दें, जो इस मामले में लागू होती है और साक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कुशलता से तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत मामले में कैसे लागू होता है। उन्होंने अपना लिखित नोट भी प्रस्तुत किया।

36. जवाब में, प्रतिवादी (राज्य) के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया और आग्रह किया कि इसे बरकरार रखा जाए और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए।

37. पक्षों के लिए विद्वान वकील और विद्वान न्याय मित्र को सुनने के बाद, हम अपील खोजने वाले बल को अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतिकरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैं।

38. इस अपील में विचार के लिए चार प्रश्न उठते हैं-पहला, क्या उच्च न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में उचित ठहराया गया था, जबकि वास्तव में, प्रारंभिक मुकदमा आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप के आधार पर था? 39. दूसरा, क्या उच्च न्यायालय को तीन के संबंध में धारा 34 के तहत धारा 149 के तहत आरोप को एक में बदलने में उचित ठहराया गया था।

अभियुक्त (यहाँ अपीलकर्ता) आई. पी. सी. की धारा 302/149 के आरोपों से आठ सह-अभियुक्तों को बरी करने और फिर आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत परिवर्तित आरोपों पर तीन अभियुक्तों (यहाँ अपीलकर्ताओं) को दोषी ठहराने के बाद?

40. तीसरा, क्या तीन अभियुक्तों (यहाँ अपीलकर्ता) के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोप को बनाए रखने के लिए कोई सबूत है। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराने के बारे में?

41. और चौथा, यदि आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोप साक्ष्य के अभाव में नहीं बनाया गया है और आगे जब आरोप के तहत आरोप लगाया जाता है।

धारा 149 पहले से ही उच्च न्यायालय द्वारा नहीं बनाई गई है, क्या तीन अभियुक्त व्यक्तियों (इसमें अपीलकर्ताओं) के खिलाफ कोई मामला उनकी दोषसिद्धि के लिए बनाया गया है और यदि ऐसा है, तो किस अपराध के लिए?

42. इससे पहले कि हम मामले के तथ्यों की जांच करें, यह आवश्यक है कि -

संबंधित धाराओं पर ध्यान दें, जो ऐसे मामलों में न्यायालय/अपीलीय न्यायालय के आरोप और शक्तियों में परिवर्तन से संबंधित हैं।

43. Cr.P.C की धारा 216. आरोप को बदलने के लिए न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। Cr.P.C की धारा 386 अपीलीय शक्तियों से संबंधित है।

न्यायालय और Cr.P.C की धारा 464. छूट के प्रभाव से संबंधित है फ्रेम, या अनुपस्थिति, या चार्ज को तैयार करने में त्रुटि। इन खंडों को नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 216. न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। (1) कोई भी न्यायालय किसी भी समय किसी भी आरोप को बदल या जोड़ सकता है।

फैसला सुनाए जाने से पहले।

(2) इस तरह के प्रत्येक परिवर्तन या जोड़ को पढ़ा जाएगा और अभियुक्त को समझाया जाएगा।

(3) यदि किसी आरोप में परिवर्तन या वृद्धि ऐसी है कि मुकदमे के साथ तुरंत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय की राय, अभियुक्त को उसके बचाव में या अभियोजक को मामले के संचालन में पूर्वाग्रहित करने के लिए, न्यायालय, अपने विवेकाधिकार में, इस तरह के परिवर्तन या जोड़ के बाद

परीक्षण के साथ आगे बढ़ें जैसे कि परिवर्तित या अतिरिक्त शुल्क मूल आरोप था। (4) यदि परिवर्तन या जोड़ ऐसा है कि आगे बढ़ रहा है

अदालत की राय में, मुकदमे के तुरंत बाद आरोपी या अभियोजक के प्रति पूर्वाग्रह होने की संभावना है क्योंकि पूर्वोक्त, न्यायालय या तो एक नए मुकदमे का निर्देश दे सकता है या मुकदमे को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकता है जो आवश्यक हो।

(5) यदि परिवर्तित या अतिरिक्त आरोप में वर्णित अपराध अभियोजन के लिए है जिसकी पूर्व मंजूरी है - आवश्यक है, मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि ऐसी मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक कि मंजूरी पहले से ही नहीं दी गई हो।

अभियोजन के लिए उन्हीं तथ्यों पर प्राप्त किया गया जिन पर

जिसे परिवर्तित या अतिरिक्त शुल्क के रूप में स्थापित किया जाता है।

386. अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ। इस तरह के अवलोकन के बाद

धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील का मामला, अभियुक्त, यदि वह उपस्थित होता है, तो अपीलीय न्यायालय, यदि वह

यह मानते हुए कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर दें, या

(क) बरी किए जाने के आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें।

हो सकता है, या उसे दोषी पाया जाए और उसे सजा दी जाए कानून के अनुसार;

(ख) माला सिंह और ओ. आर. एस. की दोषसिद्धि की अपील में।

((i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और बरी कर दें या

अभियुक्त को आरोपमुक्त करें, या उसके खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें इस तरह के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय

अपीलीय न्यायालय या विचारण के लिए प्रतिबद्ध, या

((iii) खोज के साथ या बदले बिना, प्रकृति को बदल दें। या वाक्य की सीमा, या प्रकृति और सीमा,

लेकिन इसे बढ़ाने के लिए नहीं;

(ग) सजा बढ़ाने की अपील में

((i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और बरी कर दें या

अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय, या
((ii) वाक्य को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन करें, या

((iii) खोज के साथ या बदले बिना, प्रकृति को बदल दें।

या वाक्य की सीमा, या प्रकृति और सीमा,

ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके।

((घ) किसी अन्य आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को परिवर्तित या उलट दें।

आदेश दें; (ङ) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आनुषंगिक आदेश करना जो उचित या उचित हो सकता है;

बशर्ते कि सजा को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि आरोपी को उसके खिलाफ कारण दिखाने का अवसर नहीं मिला हो।

इस तरह की वृद्धिः

बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए, जो अभियुक्त ने अपनी राय में किया है, उससे अधिक सजा नहीं देगा, जो उस अपराध के लिए अपील के तहत आदेश या सजा पारित करने वाले न्यायालय द्वारा दी जा सकती थी।

464. फ्रेम में चूक, या अनुपस्थिति, या चार्ज में त्रुटि का प्रभाव।

9] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं बनाया गया था या किसी त्रुटि के आधार पर,

शुल्क में चूक या अनियमितता, जिसमें कोई भी शामिल है

आरोपों का गलत जवाब, जब तक कि, अपील न्यायालय की राय में, पुष्टि या संशोधन, न्याय की विफलता है

(2) यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय की राय है कि वास्तव में न्याय की विफलता हुई है, यह हो सकता है

(क) शुल्क तय करने में चूक के मामले में, आदेश

कि एक आरोप तैयार किया जाए और मुकदमा चलाया जाए

के तुरंत बाद बिंदु से फिर से शुरू किया

प्रभार की संरचना;

(ख) आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में, किसी भी तरीके से बनाए गए आरोप पर नए मुकदमे का निर्देश दें जो वह उचित समझता हैः

बशर्ते कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित किए गए तथ्यों के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो वह रद्द कर देगा।

विश्वास "।

44. Cr.P.C की धारा 216,386 और 464 के संयुक्त पठन से पता चलेगा कि आरोप में परिवर्तन जहां कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है।

अभियुक्त या अभियोजन पक्ष अपीलीय न्यायालय सहित न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के भीतर है।

45. दूसरे शब्दों में, यह केवल तभी होता है जब शुरू में या कार्यवाही की समाप्ति तक या अपीलीय स्तर पर आरोप तय करने में कोई चूक न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बनती है, जिसके परिणामस्वरूप उचित मामले में मुकदमा दूषित हो सकता है।

46. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पहली बार किसी मामले में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में इस मुद्दे की जांच की विली (विलियम) स्लेनी बनाम स्टेट ऑफ एमपी में रिपोर्ट किया गया। (एआईआर 1956 एससी 116)।

47. विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवियन बोस ने अपनी अनूठी लेखन शैली में पीठ की ओर से बोलते हुए कहा, "इसलिए, जब कोई आरोप होता है।

और इसमें या तो त्रुटि है या चूक है या दोनों, और जो कुछ भी इसका मालासिंह और हमारा है।

प्रकृति, इसे तब तक भौतिक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है जो दोनों तथ्य के मामले हैंः (1) अभियुक्त 'वास्तव में' इससे गुमराह हुआ है 'और' (2) इसने न्याय की विफलता का कारण बना है।

यह, हमारी राय में, उचित रूप से सरल भाषा है।

48. कांतिलाल चंदूलाल मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य और

एन. आर. (1969) 3 एस. सी. सी. 166, इस न्यायालय ने वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उत्पन्न होने वाले इस मुद्दे की फिर से जांच की, जिसके साथ हम हैं। वर्तमान मामले में संबंधित। न्यायमूर्ति पी. जगनमोहन रेड्डी ने संहिता की योजना की जांच करने के बाद पीठ की ओर से बोलते हुए कहा, "हमारे विचार में आपराधिक प्रक्रिया संहिता को पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है।

न्यायालयों द्वारा किसी आरोप को बदलने या संशोधित करने के लिए, चाहे वह विचारण न्यायालय द्वारा हो या अपीलीय न्यायालय द्वारा, यह प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त को किसी नए अपराध के लिए आरोप का सामना नहीं करना पड़ता है या वह उस आरोप के बारे में उसे अंधेरे में रखने या उसे पूरा अवसर न देने से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है।

उसे पूरा करना और उसके लिए कोई भी बचाव पेश करना, अंततः उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पर।

49. अब आई. पी. सी. की धारा 152 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 149 से धारा 34 में आरोप को बदलने के सवाल पर आते हुए, यह लक्ष्मण सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहली बार इस प्रश्न पर विचार किया गया था। बनाम। राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 167) जहाँ न्यायमूर्ति फजल अली ने पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

" यह भी तर्क दिया गया कि कोई आरोप नहीं है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलार्थियों को धारा के तहत दोषसिद्धि

302 शेष अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने पर, धारा 149 के साथ पठित धारा को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत एक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। हालाँकि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि अभियुक्त पर वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता था, या तो धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत या धारा 302 के तहत।

धारा 34 के साथ। इसलिए इस बिंदु का कोई बल नहीं है।

50. करनैल में इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न की फिर से जांच की गई।

सिंह और अन्न। बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 204) जिसमें विद्वान न्यायाधीश वेंकटरामा अय्यर, जे. इस विषय पर कानून का विस्तार करना जो निम्नानुसार हैः

" (7) फिर अगला सवाल यह है कि क्या धारा 34 के साथ धारा 242 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि, जब [2019] 3 एस. सी. आर.

अपीलार्थियों का तर्क है कि धारा 149 का दायरा धारा 34 से अलग है, जबकि धारा 149 के लिए एक सामान्य उद्देश्य का प्रमाण आवश्यक है, यह आवश्यक होगा।

धारा 34 के तहत एक सामान्य इरादा स्थापित करने के लिए और इसलिए जब अभियुक्त के खिलाफ आरोप है धारा 149 के तहत, इसे धारा 34 के तहत अपील में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दलीप सिंह बनाम में इस अदालत की निम्नलिखित टिप्पणियां। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364 पर इस स्थिति के समर्थन में भरोसा किया गया थाः

" न ही इस मामले में धारा 34 का सहारा लेना संभव है क्योंकि अपीलार्थियों पर वैकल्पिक और धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य इरादे में भी इसके लिए आरोप नहीं लगाया गया है और धारा 149 द्वारा अपेक्षित सामान्य उद्देश्य इससे बहुत दूर हैं।

एक ही चीज़ होना। "

यह सच है कि दोनों खंडों के बीच पर्याप्त अंतर है, लेकिन जैसा कि लॉर्ड सुमनर ने बरेंद्र कुमार घोष बनाम में देखा है। सम्राट, ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 1, वे भी कुछ हद तक ओवरलैप करते हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाने वाला एक सवाल है कि क्या धारा 149 के तहत आरोप धारा 34 द्वारा कवर किए गए आधार को ओवरलैप करता है। अगर सामान्य उद्देश्य जो धारा 149 के तहत आरोप की विषय वस्तु है, आवश्यक रूप से एक सामान्य इरादा शामिल नहीं है, तो धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन का परिणाम अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन यदि तथ्यों को साबित किया जाना है और धारा 149 के तहत आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य समान होगा 'यदि आरोप था

धारा 34 के तहत, तब धारा 34 के तहत अभियुक्त पर आरोप लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में, धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन को एक औपचारिक मामला माना जाना चाहिए।

हम दलीप सिंह बनाम में टिप्पणियों को नहीं पढ़ते हैं। राज्य का

पंजाब (1) इस व्यापक प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में कि कानून में धारा 34 का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है, जब आरोप केवल धारा 149 के तहत है। क्या ऐसा सहारा माला सिंह और हमारा है।

हो सकता है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

यह इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।

लक्ष्मण सिंह बनाम। राज्य (1), जहां धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि

तथ्य ऐसे थे

" कि अभियुक्त पर वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता था

धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत, या

धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत पढ़ें।

51. लच्मन सिंह (ऊपर) और करनैल 1 (ऊपर) में निर्धारित कानून को विली (विलियम) स्लेनी (ऊपर) में दोहराया गया था जिसमें सी. ई. विवियन बोस ने बेंच की ओर से बोलते हुए इन दो आयनों का उल्लेख करते हुए कहा थाः

" (49) . निम्नलिखित मामलों में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वे

हम जिस दृष्टिकोण को विस्तार से निर्धारित कर रहे हैं, उससे सीधे सहमत हैं।

ऊपर। लछमन सिंह बनाम। राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 167, यह

कुछ अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि ठीक है, भले ही धारा 302 के तहत कोई अलग शुल्क नहीं है

धारा 34 के साथ, बशर्ते कि अभियुक्त ऐसा कर सकता था

मामले के तथ्यों पर आरोप लगाया गया।

करनैल सिंह बनाम में निर्णय। पंजाब राज्य, आकाशवाणी

1954 एस. सी. 204 का एक ही प्रभाव है और इसके बारे में सवाल है

पूर्वाग्रह पर भी विचार किया गया था।

52. इस मामले में विली (विलियम) स्लेनी (सुप्रा) में कानून का उल्लेख करने के बाद कानून के इस सिद्धांत को दोहराया गया था।

टार्मल बनाम राजस्थान राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 266 निम्नलिखित मेंएसः

" 14. यह निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 34 के साथ-साथ धारा 149 रचनात्मक दायित्व से संबंधित है।

आपराधिकता अर्थात कृत्यों के लिए किसी व्यक्ति का प्रत्यावर्ती दायित्व

अन्य। दोनों खंड व्यक्तियों के संयोजन से संबंधित हैं।

जो किसी अपराध में हिस्सेदार के रूप में दंडनीय हो जाता है। इस प्रकार वे

एक निश्चित समानता है और कुछ हद तक [2019] 3 एस. सी. आर.

ओवरलैप करें। लेकिन एक स्पष्ट अंतर के बीच बनाया गया है

उस सामान्य में सामान्य इरादा और सामान्य उद्देश्य

एक पूर्व-व्यवस्थित योजना के अस्तित्व को मन की एक पूर्व बैठक का संकेत देता है, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए जरूरी नहीं कि मन की पूर्व बैठक या पूर्व संगीत कार्यक्रम के प्रमाण की आवश्यकता हो। यद्यपि दोनों धाराओं के बीच पर्याप्त अंतर है, वे कुछ हद तक अतिव्यापी भी हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न है कि क्या धारा 149 के तहत आरोप धारा 34 द्वारा कवर किए गए आधार को अतिव्यापी करता है। इस प्रकार, यदि पाँच या उससे अधिक संख्या वाले कई व्यक्ति एक कार्य करते हैं और उसे करने का इरादा रखते हैं, तो दोनों धाराएँ 34 और धारा 149 लागू हो सकती है। यदि सामान्य वस्तु करता है

आवश्यक रूप से एक सामान्य इरादा शामिल नहीं है, तो धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप हो सकता है

अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर इसमें एक सामान्य इरादा शामिल है तो धारा 149 के लिए धारा 34 के प्रतिस्थापन को एक औपचारिक मामला माना जाना चाहिए। ऐसा उपाय किया जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। इसलिए, धारा 149 की गैर-प्रयोज्यता आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में कोई बाधा नहीं है, यदि साक्ष्य में किसी अपराध के होने का खुलासा होता है।

उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाना। (देखें।

बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राटः आकाशवाणी 1925 पी. सी. 1 ; मन्नम वेंकटदारी और अन्य बनाम आंध्र राज्य

प्रदेशः ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1467; नेथला पोथुराजु और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्यः ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 2214 और राम ताहल और अन्य बनाम। यू. पी. की स्थितिः ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 254 "

53. न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, जो अब काफी अच्छी तरह से सुलझा लिया गया है, हमें अब इस मामले की जांच करनी होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी संख्या को दोषी ठहराने में उचित था। 2 और 3 इसमें आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से हत्या के अपराध को समाप्त करने के लिए, जो अंतिम रूप से न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ बनाया गया आरोप नहीं है।54. पूरे साक्ष्य और मामले में उत्पन्न होने वाले मुकदमों को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति को देखने के बाद, हमने एक राय बनाई है कि अपील माला सिंह की है।

अपीलार्थी सं. द्वारा दायर। 2 और 3 को अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलार्थी सं. 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 324 में बदला जाना चाहिए। हम निम्नलिखित कारणों से यह कहते हैंः 55. सबसे पहले, एक बार आठ सह-अभियुक्तों को उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत उन्हें संदेह का लाभ देकर और उनके आरोपों से बरी कर दिया गया था।

तीन अपीलार्थी अपने मामले को आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे में लाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत उनकी दोषसिद्धि नहीं है। कानूनी रूप से टिकाऊ।

57. दूसरे शब्दों में, हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष तीन अपीलार्थियों के खिलाफ उनके सामान्य इरादे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा

महेंद्र बाई की हत्या करना। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी आई. पी. सी. की धारा 149 से आई. पी. सी. की धारा 34 में आरोप को बदलते समय किसी भी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया और न ही कोई कारण बताया कि शेष आठ सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के बावजूद इन तीन अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत किस आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

58. अभियोजन पक्ष का यह मामला शुरू से ही था कि सभी ग्यारह आरोपी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे और यह मामला है,

अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष कुछ हद तक सफलतापूर्वक साबित करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप सभी ग्यारह अभियुक्तों को भी दोषी ठहराया गया, लेकिन यह उच्च न्यायालय में कायम नहीं रहा।

59. हमारे विचार में, के समर्थन में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य

आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत तीन अपीलार्थियों के सामान्य इरादे के आरोप को साबित करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप पर्याप्त नहीं था, हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के सिद्धांत पर, उच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आरोप को आई. पी. सी. की धारा 149 से धारा 34 में बदल सकता है।

60. आई. पी. सी. की धारा 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं करती है, जबकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 149 ऐसा करती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, [2019] 3 एस. सी. आर.

अभियोजन पक्ष ने शुरुआत से ही अपने मामले पर जोर दिया और तदनुसार सभी अभियुक्तों के खिलाफ सबूत पेश करते हुए आरोप लगाया कि सभी आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और इससे आगे नहीं। इसलिए, सत्र न्यायालय ने इस आशय का आरोप उचित रूप से तैयार किया।

61. यदि अभियोजन पक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सत्र न्यायालय में इस आरोप को साबित करने में सफल रहा, तो अभियोजन पक्ष इसमें विफल रहा।

इसलिए उच्च न्यायालय में साबित करना।

62. अभियोजन पक्ष, हमारे विचार में, कभी भी ऐसा मामला नहीं लाया कि सभी 11 अभियुक्त व्यक्तियों ने धारा 34 के तहत एक समान इरादा साझा किया हो।

आई. पी. सी. महेंद्र बाई को खत्म करने के लिए और न ही मामले के साथ आया अपीलीय चरण में कहा गया कि महेंद्र बाई को खत्म करने के लिए 8 सह-अभियुक्तों से स्वतंत्र रूप से केवल 3 अपीलकर्ताओं ने समान इरादा साझा किया था।

अपीलकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने (तीन) घटना की तारीख से पहले किसी भी समय "समान इरादा" साझा किया था और इस तरह के सामान्य इरादे को साझा करने के लिए महेंद्र बाई को खत्म करने के लिए मौके पर आए और अंत में, उच्च न्यायालय परिवर्तित दोषसिद्धि के समर्थन में कोई कारण देने में विफल रहा, सिवाय एक पंक्ति में यह कहने के कि दोषसिद्धि को धारा 302/149 आई. पी. सी. के स्थान पर धारा 302/34 आई. पी. सी. के तहत बरकरार रखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अपील स्तर पर धारा 34 आई. पी. सी. के आह्वान को हमारे विचार में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 64. यह सच है कि "लालकारा" माला सिंह द्वारा दिया गया था-अपीलकर्ता नंबर 1 (मृत होने के बाद से) लेकिन यह महिंद्रा बाई को खत्म करने के लिए नहीं था -

मृतक।

65. प्रत्यर्थी (राज्य) के विद्वान वकील इस बात का कोई सबूत देने में सक्षम नहीं थे कि अपीलकर्ताओं ने कभी भी महेंद्र बाई को बरी किए गए आठ अभियुक्तों में से स्वतंत्र रूप से खत्म करने का सामान्य इरादा साझा किया था। इसलिए, हम दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए कोई आधार खोजने में असमर्थ हैं।

अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्ष्य के अभाव में आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलार्थी।

66. अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि माला सिंह (ए-7) ने फरसा से मारा और पूरन सिंह (ए-3) ने महेंद्र बाई को गोली मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, महेंद्र बाई

गोली लगने से उनकी मौत हो गई। जहाँ तक अपीलार्थी सं. की भूमिका की बात है। 2 और अपराध में 3 का संबंध है, दोनों ने एकल प्रहार किया-एक हाथ पर और दूसरा महेंद्र बाई के गाल पर, इससे पहले कि अन्य दो आरोपी-माला सिंह और पूरन सिंह ने उन पर हमला किया।

67. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों हमले अपीलार्थी सं। 2 और 3 ने महेंद्र बाई को साधारण चोट पहुँचाई जो हुई

68. इस तरह के मामले में, जब दोनों समूहों के बीच लड़ाई होती है और जहां दोनों समूहों के बीच गोलियों का आदान-प्रदान होता है एक-दूसरे के खिलाफ और जब साक्ष्य के आधार पर आठ सह-अभियुक्तों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है और जहां राज्य बरी किए गए आठ अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 149 की उनकी याचिका को आगे नहीं बढ़ाता है जो अंतिमता प्राप्त करता है और जहां किसी भी अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 की याचिका तैयार नहीं की जाती है।

और जहां अपीलीय स्तर पर भी अभियोजन पक्ष द्वारा आई. पी. सी. की धारा 34 के आरोप को बनाए रखने के लिए किसी भी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाता है, जिसमें तीन अभियुक्त अपीलार्थी आठ बरी किए गए सह-अभियुक्तों से स्वतंत्र हैं और जब वे बरी किए गए सह-अभियुक्तों में से हैं।

दो मुख्य अभियुक्त हमलावरों, एक की मृत्यु हो गई है और दूसरे को बरी कर दिया गया है और अंत में, आरोप में परिवर्तन के समर्थन में तीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी तर्क के अभाव में, हमारा विचार है कि दोनों अपीलार्थी पूरे परिदृश्य के लाभ का दावा करने के हकदार हैं और आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि में परिवर्तन की मांग करते हैं, बजाय इसके कि आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि का सामना करना पड़े, यदि अन्य आठ सह-अभियुक्तों को समान रूप से पूरी तरह से बरी नहीं किया जाता है।

69. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी सं। 2 और 3 को आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और इससे आगे उनके व्यक्तिगत आधार पर नहीं। अपराध के आयोग में भागीदारी।

70. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तब कहा कि दी गई कुल जेल सजा में से, अपीलार्थी संख्या। 2 और 3 पहले ही लगभग सात साल की जेल की सजा काट चुके हैं जब दोनों को 07.07.2009 पर इस अदालत के आदेश से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 3 का संबंध है, वह एक वृद्ध महिला है।

71. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी सं। 2 और 3 पहले ही सात साल की जेल की सजा काट चुके हैं और अपीलार्थी संख्या 3 एक वृद्ध महिला है और पिछले 10 वर्षों से जमानत पर भी है और दोनों ने पिछले 10 वर्षों में जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और अपीलार्थी संख्या 3 की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हुए। 2 और 3 आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत, आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत अपनी दोषसिद्धि को परिवर्तित करें और उन्हें वह सजा दें जो वे पहले ही भुगत चुके हैं और प्रत्येक [2019] 3 एस. सी. आर. पर <आई. डी. 1,000/- का जुर्माना लगाएं।

अपीलार्थी और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, आगे तीन महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा। 72. दूसरे शब्दों में, अपीलार्थियों (Nos.2 और 3) को पहले की तुलना में किसी भी जेल की सजा से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि प्रत्येक

अपीलार्थी रुपये जमा करते हैं। 10,000 / - इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर जुर्माने की राशि के रूप में अन्यथा दोनों अपीलार्थियों को गुजरना होगा जुर्माने की राशि जमा न करने पर तीन महीने का साधारण कारावास।

73. विदा लेने से पहले, हम न्याय मित्र श्री करण भरीहोक द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए प्रशंसा का एक शब्द दर्ज करते हैं

74. इस प्रकार अपील सफल हो जाती है और आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया गया है। अंकित ज्ञान

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।